दिनांक 3 नवम्बर, 2010 को आयोजित कार्यकारी परिषद की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त

समूह । अनुमोदनार्थ मदें

ई सी : 07:01	अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक व्यवस्थित कहा जाना

कार्यवृत्त

7.01.1 अध्यक्ष महोदय ने सदन को व्यवस्थित बतलाया।

ई सी : 07:02	निधन सूचना

[कार्यसूची टिप्पणी

7.02.1 निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु सूचना सदन के समक्ष गहरे शोक के साथ लाई गई:

1. *श्री स्टीफन नाम्चु, सिक्किम के प्रसिद्ध गायक, जिन्होंने परिक्रमा सदृश्य राष्ट्रीय म्यूजिकल बैंड के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ।*
2. *श्री पी जी तेन्जिंग, पूर्व आई ए एस एवं प्रसिद्ध लेखक*
3. *प्रो0 अर्जुन सेनगुप्ता, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं राज्य सभा सदस्य*
4. *श्री संतोष गुरूंग, प्रसिद्ध राजनैतिक नेता, दार्जीलिंग*

7.02.1 सदन में गहरे शोक के साथ ऊपर वर्णित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु सूचना को नोट किया तथा मृत आत्माओं के प्रति सम्मान के रूप में 2 मिनट का मौन धारण किया।

ई सी : 07:03	उप कुलपति द्वारा कार्य निष्पादन उल्लेख

कार्यवृत्त

7.03.1 उप कुलपति ने कार्यकारी परिषद की दिनांक 12 जून 2010 को आयोजित पिछली बैठक के बाद विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्य निष्पादन का उल्लेख करते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया । प्रोफ़ेसर सूर्यवंशी ने देश के पूर्वी भाग एवं शेष भारत से विभिन्न विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों का प्रतिशत जानना चाहा । उपकुलपति ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय में छात्रों के नामांकन का वितरण तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों से एक समयावधि के अंतर्गत समान रुप से विस्तारित है । जबकि विश्वविद्यालय में सिक्किम तथा भारत के पूर्वी एवं पूर्वोत्तर से अधिक संख्या में छात्रों का आकर्षण निरंतर बना हुआ है ,फिर भी वर्ष 2010-11 हेतु वर्तमान नामांकनों से पूर्व में यथा उल्लेखित समान रुप से विस्तारित वितरण दिखाई पड़ता है , जिससे संकेत मिलता है कि विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 3 वर्षों में ही देश के दक्षिणी भाग सं भी छात्रों की अच्छी संख्या प्राप्त करने में सफल हुआ है । इससे विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय चरित्र के अनुरक्षण में सहायता मिली है तथा छात्र सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न अवयवों में विविधता एवं प्रतियोगिता का गहरा भाव पैदा करने में भी मदद मिला है। सदस्य ने यांग्यांग स्थित भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहा, जिस पर उपकुलपति ने कहा कि इस विषय पर इसी बैठक में कार्य सूची मद (मद संख्या ई.सी.: 7:28) के रूप में अलग से चर्चा की जाएगी ।

7.03.2 प्रोफेसर आनंद कृष्णन ने विश्वविद्यालय से अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सम्मिलित रूप से प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की यू जी सी की नीतियों के अनुरूप संभावना ढूंढने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पाठ्यक्रमों की समानता के अभाव एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच पाठ्यचर्या विभिन्नताओं के कारण वर्तमान समय में इसका अनुपालन संभव नहीं है । यद्यपि, अध्यक्ष ने आस्वस्त किया कि विश्वविद्यालय आने वाले समय में इस पर विधिवत विचार करेगा । सदस्य ने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय ई-बुक विषय वस्तु एवं पुस्तकों के डिजिटाइजेशन को लागू करने पर भी विचार कर सकता है । अध्यक्ष ने आश्वस्त किया की सदस्य के सुझाव पर विधिवत विचार किया जाएगा ।

7.03.3 तत्पश्चात, सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई गतिविधियों एवं विकास की तीव्र गति की सराहना की तथा अध्यक्ष को भविष्य में भी इस रफ्तार को बनाए रखने का निर्देश दिया ।

ई सी : 07:04	दिनांक 12 जून 2010 को आयोजित कार्यकारी परिषद की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यवृत्त

7.04.1 सदन ने कार्यकारी परिषद की दिनांक 12 जून 2010 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर विचार एवं अनुमोदन किया।

ई सी : 07:05	दिनांक 12 जून 2010 को आयोजित कार्यकारी परिषद की पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

कार्यवृत्त

7.05.1 सदन ने उनके समक्ष प्रस्तुत अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार किया तथा इसका अनुमोदन किया।

ई सी : 07:06	विश्वविद्यालय प्रार्थना का अंगीकरण

कार्यवृत्त

7.06.1 सदन प्रोफेसर महेंद्र पी लामा उपकुलपति द्वारा रचित प्रार्थना गीत इसके ऑडियो आर्केस्ट्रा के प्रतिपादन से सर्वथा प्रभावित था। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस प्रार्थना गीत का संगीत विश्वविद्यालय के साथ छात्र द्वारा रचित है , सदन ने इस युवा संगीतकार की ऐसी मधुर धुन तैयार करने के लिए बहुत प्रशंसा की । सदन ने उपकुलपति द्वारा रचित इस प्रार्थना गीत का अर्थ विस्तार पूर्वक जानना चाहा । गीत के रचनाकार तथा उपकुलपति ने स्पष्ट किया कि इस गीत में सिक्किम में एक महान शैक्षिक संस्थान के आगमन का स्वागत करते हुए उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार यह विश्वविद्यालय भारत के हिमालय प्रदेश में संपूर्ण समाज को रुपांतरित कर सकता है तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक समुदाय किस प्रकार इस विश्वविद्यालय की गतिविधियों से लाभ उठा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि किस प्रकार छात्र अपने स्थानिक परिदृश्य में वैश्विक संसार को अपना सकता है । इसमें भारत माता की महानता की भी प्रशंसा की गई है, जो कि सिक्किम की अभूतपूर्व सुंदरता एवं शांति में समाहित है, जहां कि यह विश्वविद्यालय अवस्थित है। इसमें शिक्षा के नेपाली में एक सरल एवं अबाध तरीके से प्रोन्नति की विश्वविद्यालय की महत्वाकांक्षा का भी संकेत है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि नेपाली, जो कि भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में दर्ज है, न सिर्फ आम बोलचाल की भाषा है, अपितु यह सिक्किम राज्य की राजभाषाओं में भी एक है ।

7.06.2 सदन ने इस आत्ममुग्ध करने वाले एवं अति सांकेतिक प्रार्थना गीत की रचना में उपकुलपति के कवित्व मेधा एवं अभिव्यक्ति के प्रति अपनी प्रशंसा अभिलिखित किया तथा इसे विश्वविद्यालय प्रार्थना गीत के रूप में अंगीकृत किया ।

ई सी : 07:07	गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियमित आधार पर नियुक्ति

कार्यवृत्त

7.07.1 सदन ने इन के समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया । अध्यक्ष ने सदन को स्पष्ट किया कि प्राप्त आवेदन पत्रों की वृहत संख्या की संवीक्षा से आरंभ करके सूची संक्षिप्तता, अभ्यर्थियों का अंतर्वार्ता आयोजित करने में प्रबंधन की सहायता सहित भर्ती प्रक्रिया का संपूर्ण कार्य संकाय सदस्यों द्वारा अति संलग्नता एवं कर्तव्यपरायणता के साथ किया गया था । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों में ऐसी प्रक्रियाएं या तो अति लागत पर आउट सोर्स की जाती है या प्रबंधन कर्मचारियों की वृहत संख्या द्वारा की जाती है ।

7.07.2 बाद में सदन में अनुलग्नक ई.सी VII 03 से ई.सी VII 08 तक में गैर शिक्षण कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति हेतु नामों के पैनल पर विचार किया तथा इसका अनुमोदन किया।

7.07.3 सदन ने कार्यसूची मद में उल्लेखित अभ्यर्थियों के प्रति उन पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करने के लिए अपना अनुमोदन दिया जिन पर उनका चयन हुआ था।

ई सी : 07:08	वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

कार्यवृत्त

7.08.1 सदन ने उनके समक्ष प्रस्तुत कार्य सूची मध्य (ड्राफ्ट वार्षिक रिपोर्ट एवं ड्राफ्ट लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र दोनों) पर विचार किया तथा उप कुलपति को इस मानव संसाधन विकास को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अंतिम लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र ,जब कभी प्राप्त हो , को विधिवत समाविष्ट करते हुए आगे संसद के सदनों में प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रेषित करने का प्राधिकृत किया ।

ई सी : 07:09	प्रबंधक के स्तर पर ओएसडी की नियुक्ति(उप रजिस्ट्रार)

7.09.1 सदन ने कार्य सूची मद पर एवं अध्यक्ष द्वारा यथा उल्लेखित पद के सृजन हेतु औचित्य पर विचार किया । सदन ने यह भी नोट किया की वर्तमान में विश्व विद्यालय के समक्ष मध्य प्रबंधन स्तर पर उनके समक्ष विद्यमान कार्य की व्यापकता की तुलना में पर्याप्त कर्मचारी कम है । सभी बातों पर विधिवत विचार करने के बाद सदन ने कार्यो की आकस्मिकता के कारण विशेष कार्य अधिकारी के 1 अस्थाई पद के सृजन एवं इस पर मेधा के आधार पर, प्रबंधक (उप रजिस्ट्रार) के पद हेतु सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती करने का अनुमोदन किया।

ई सी : 07:10	गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती पर अध्यादेश के प्रति संशोधन

7.10.1 सदन ने अध्यादेश (संलग्न - I में चयन समिति का गठन एवं संलग्न – II - में विभागीय पदोन्नति समिति का गठन धारा 6 (vi) में तथा संदर्भित) के प्रति संशोधन पर विचार किया तथा उल्लेखित वाक्यों की निरस्तता से संबंधित संशोधन का अनुमोदन किया ।

ई सी : 07:11	सिक्किम विश्वविद्यालय स्वास्थ्य योजना हेतु परिशोधित प्रस्ताव

कार्यवृत्त

7.11.1 सदन ने इन के समक्ष प्रस्तुत पृष्ठभूमि टिप्पणी एवं परिशोधित प्रस्तावों पर विचार किया । सदन ने कार्मिक सदस्यों में व्याप्ती के मामले में प्रीमियम श्रृंखला के बारे में जानकारी मांगी, जिसे प्रभारी सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया । सदन को यह भी बताया गया कि किए गए व्यय की आंशिक वसूली के लिए संबंधित कार्मिक सदस्यों से प्रीमियम राशि का 25% वसूल किया जाएगा । छात्रों के मामले में यद्यपि यह निर्णय लिया गया कि उनसे कोई अवदान नहीं लिया जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, विशेषकर तब, जबकि विश्वविद्यालय के पास अपना कोई नियमित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है ।

6.11.2 उपरोक्त पर विचार करने के बाद सदन ने संशोधित प्रस्ताव के अनुपालन हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया ।

ई सी : 07:12	गंगटोक स्थित भूमि का प्रापण

कार्यवृत्त

7.12.1 सदन ने कार्यसूची मद साथ ही गंगटोक कैंपस हेतु भूमि खरीद पर समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विस्तृत विचार किया एवं भूमि क्रय समिति की कार्यवाहियों पर भी विचार किया सदन ने चिंता के साथ नोट किया कि गंगटोक स्थित भूमि क्रय के सीधे मामले में भी विश्वविद्यालय को सिक्किम सरकार की सहायता की जरूरत पड़ती है। सदन ने यह भी नोट किया कि यांग्यांग स्थित मुख कैंपस हेतु भूमि अधिग्रहण के मामले में रुपया 15 करोड़ की क्षतिपूर्ति (जोकि सामान्यतः नहीं किया जाता है , क्योंकि अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा लागत रहित भूमि उपलब्ध करवाना अनिवार्य होता है) के भुगतान करने के बावजूद भी विश्वविद्यालय विभिन्न कारणों से 3 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी भूमि अधिग्रहण नहीं कर सका है । सदन ने आशंका व्यक्त की कि गंगटोक स्थित भूमि क्रय के मामले में ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो । इसके लिए प्रोफ़ेसर गौतम वर्मा ने सुझाव दिया कि सीधे भूमि क्रय के विकल्प के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ परामर्श से गंगटोक स्थित 99 वर्षों के लीज पर भूमि प्राप्त करने के विकल्प पर भी विचार कर सकता है । अन्य शब्दों में सदन ने सलाह दी कि विश्वविद्यालय सभी तीनों विकल्पों, यथा सरकार के माध्यम से अधिग्रहण, सीधे क्रय, लंबी अवधि के लिए लीज पर लिए जाने के, माध्यम से गंगटोक कैंपस हेतु गंगटोक स्थित भूमि अधिग्रहण की संभावनाओं पर विचार कर सकता है । भूमि क्रय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर मधुर स्वामीनाथन ने सदन के समक्ष वस्तुस्थिति स्पष्ट किया कि गंगटोक एवं इसके आसपास भूमि मूल्यों में अत्यधिक कमी की दृष्टि से एवं राज्य में तीव्र वाणिज्यिक विकास के कारण लगातार वृद्धि हो रही है तथा इस बात पर बल दिया कि विश्वविद्यालय यथासंभव शीघ्र भूमि प्राप्त करने का प्रयास करें । उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पहचानकृत भूमियों के संभावित भूस्वामी अपने दिए गए दर पर लंबी अवधि तक बने नहीं रह सकते हैं ।

7.12.1 उपरोक्त प्रेक्षणों के साथ, सदन ने उपकुलपति को इस पर अगली कार्रवाई तत्काल आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया ।

ई सी : 07:13	यूजीसी (एम फिल /पी एच डी डिग्री के अवार्ड हेतु न्यूनतम मानक एवं पद्धति) विनियमावली 2009 को अंगीकृत करना

कार्यवृत्त

7.13.1 सदन ने कार्य सूची मद पर विचार किया एवं इसका अनुमोदन किया।

ई सी : 07:14	विधि शिक्षा पर अध्यादेश

कार्यवृत्त

7.14.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया । सदन ने नोट भी किया कि विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय में विधि अध्ययन कार्यक्रमों के संबंध में भारतीय बार परिषद के अनुदेशों का भी अनुपालन करना है , साथ ही बी सी आई द्वारा अधिसूचित विधिक शिक्षा नियमावली 2008 में निहित अनुदेशों को कार्यान्वित करना है । उपरोक्त पर विचार करने के बाद, सदन ने उपकुलपति को अनुदेशों के अनुपालन तथा सिलेबस की उचित रुप से संविक्षा द्वारा वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2010-11 से वांछित उपबओं को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत किय। सदन ने यह भी अनुदेश दिया कि इस कार्य को समाप्त करने के बाद विश्वविद्यालय इस विषय पर एक औपचारिक अध्यादेश इसे शैक्षणिक परिषद द्वारा विधिवत अनुशंसा किए जाने के बाद जारी कर सकता है।

ई सी : 07:15	परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन

कार्यवृत्त

7.15.1 सदन ने विचार किया तथा इस दृष्टि से अनुमोदन किया कि दिसंबर, 2010 में अगली सेमेस्टर समाप्त परीक्षा के आरंभ होने के पूर्व ऐसे संशोधनों की आवश्यकता में कई आकस्मिकताए संलग्न होती है । ऐसी छात्रों के वृहत्तर हितों को देखते हुए किया गया ।

7.15.2 इसी समय सदन ने, विश्वविद्यालय को इस शैक्षाणिक परिषद द्वारा विधिवत वैटिंग एवं अनुशंसा करवाए जाने का अनुरोध किया, जैसा कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के प्राथमिक सांविधि सं0 40(2) में निर्धारित है ।

ई सी : 07:16	महाविद्यालयों से संबद्धल शुल्क प्रभारित किया जाना

कार्यवृत्त

7.16.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विस्तार से विचार किया तथा अनुलग्नक ई.सी. 7.16.1 में यथा उल्लेखित शैक्षणिक वर्ष 2011-12 से तदर्थ आधार पर संबद्धन शुल्क को प्रभारित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

7.16.2 सदन ने यह भी पाया की कथित प्रस्ताव को इस विषय पर एक औपचारिक अध्यादेश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो कि सदन द्वारा इनके दिनांक 12 नवंबर 2009 की बैठक में गठित समिति की अनुशंसाओं के आधार पर ड्राफ्ट किया जाएगा ।

ई सी : 07:17	सिक्किम विश्वविद्यालय की छात्रावास नियमावली

कार्यवृत्त

7.17.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया एवं इसका अनुमोदन किया
।

ई सी : 07:18	सिक्किम विश्वविद्यालय की अतिथि गृह नियमावली

कार्यवृत्त

7.18.1 सदन ने कार्य सूची मद का निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदन किया:

1. कि नियमावली में "कार्यालयी अतिथि" शब्द को परिभाषित किया जाएगा, ताकि किसी संदिग्धता को विशेष रुप से हटाया जा सके ।
2. लगाए जाने वाले प्रभारों का भी तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

ई सी : 07:19	सिक्किम विश्वविद्यालय की भवन अनुरक्षण नियमावली

कार्यवृत्त

7.19.1 इस मद को विलंबित किया गया । प्रभारी सचिव द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि सी पी डब्ल्यू डी संहिता आदि के उपबंधों के अनुरूप और अधिक संपर्क किया जाएगा , कथित कार्य सूची मद सदन के वर्तमान बैठक में प्रस्तुत नहीं किया जा सका ।

ई सी : 07:20	द्वितीय कार्यकारी परिषद का गठन

कार्यवृत्त

7.20.1 सदन ने कार्यसूची मद पर , विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 07.10.2010 के पत्र में दिए गए अनुदेशों (अनुलग्नक ई सी VII 23) पर विस्तृत रुप से विचार किया । सदन ने इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श किया । बैठक के कोरम से संबंधित उपबंधों पर चर्चा उच्चतर शिक्षण के अन्य संस्थानों में हुई इस संबंध में व्यवहारिक कठिनाइयों साथ ही सिक्किम में विद्यमान भौगोलिक जलवायु-जन्य योजना एवं संभार तंत्र संबंधित कठिनाइयों पर विचार करते हुए की गई ।

7.20.2 अत्यधिक विचार विमर्श के बाद सदन ने कोरम से संबंधित उपबंधों में निम्नानुसार संशोधन किया:
"सांविधि 11(3) कुल 20 में से 7 सदस्यगण अथवा कार्यकारी परिषद के वर्तमान सदस्यों में से एक तिहाई कार्यकारी परिषद की किसी बैठक के लिए कोरम होगा"

7.20.3 उपरोक्त संशोधन के साथ सदन ने सांविधि 11 के प्रति प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया।

7.20.4 सदन ने कार्यसूची मद के पैरा 7.20.4 में कार्यकारी परिषद की बैठक के संचालन के संबंध में इसकी आवधिकता, कार्यसूची मदें आदि के परिचालन सहित के लिए यथा प्रस्तावित भी नियमावली का अनुमोदन भी किया ।

ई सी : 07:21	द्वितीय शैक्षणिक परिषद का गठन

कार्यवृत्त

ई सी : 07:22	यांग्यांग में केंद्रीय विद्यालय का स्थापना

कार्यवृत्त

7.22.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया। अध्यक्ष ने सदन के समक्ष यांग्यांग स्थित मुख्य कैंपस स्थल पर निकट भविष्य में विश्वविद्यालय के स्थानांतरण के साथ-साथ केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता स्पष्ट किया । यह उल्लेख किया गया कि किसी गुणता स्कूल के द्वारा विश्वविद्यालय की बृहत्तर एवं दीर्घ अवधि जरूरतों को पूरा किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय के लिए इस प्रस्ताव हेतू सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा । ऐसा विद्यालय क्षेत्र के सामान्य नागरिकों के लिए भी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अतिरिक्त लाभकारी होगा।

7.22.2 तदनुसार, सदन ने कार्य सूची मध्य का अनुमोदन किया तथा विश्वविद्यालय को इस दिशा में वांछित कदम उठाने का निर्देश दिया।

ई सी : 07:23	यांग्यांग में सी जी एच एस डिस्पेंसरी/ अस्पताल की स्थापना

कार्यवृत्त

7.23.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया । अध्यक्ष ने सदन के समक्ष दक्षिण सिक्किम में यांग्यांग स्थित मुख्य कैंपस में सीजीएचएस /डिस्पेंसरी अस्पताल की स्थापना की आवश्यकता स्पष्ट किया । यह सुझाव दिया गया कि, जबकि विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के वृहत्तर हितों एवं क्षेत्र के सामान्य नागरिक के लाभार्थ पूर्ण सज्जित सी जी एचएस अस्पताल का प्रस्ताव कर सकता है, फिर भी आरंभिक चरण में यह विश्वविद्यालय कर्मचारियों के द्वारा चिकित्सकीय सुविधाओं के उपयोग हेतु इस क्षेत्र में एक डिस्पेंसरी प्राधिकृत किए जाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध कर सकता है । सदन के समक्ष आगे स्पष्ट किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 11 वीं योजना सामान्य विकास अनुदान के अंतर्गत विश्वविद्यालय अस्पताल निर्माण के उद्देश्य से रुपए 300 लाख का आवंटन किया है।

7.23.2 तत्पश्चात, सदन ने उपकुलपति को यांग्यांग में सीजीएचएस डिस्पेंसरी /अस्पताल की स्थापना हेतु संबंधित प्राधिकारियों के साथ प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए प्राधिकृत किया ।

समूह II संपुष्टि अपेक्षित मदें

ई सी : 07:24	हिरोसिमा यूनिवर्सिटी, जापान के साथ एम ओ यू

कार्यवृत्त

7.24.1 सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा विदेश स्थित विख्यात विश्वविद्यालयों के साथ सहभागिता प्राप्त करने के लिए में किए गए प्रयासों की प्रशंसा एवं सराहना की । तथा विश्वविद्यालय 2 छात्रों के लिए हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के प्रति अल्पावधिक शैक्षणिक कार्यक्रम में फेलोशिप प्राप्त करने में सक्षम होने पर भी बधाई दी । कार्यसूची मद पर विचार करने के बाद, सदन ने इसकी संपुष्टि की । सदन ने उपकुलपति को भारत के अंतर्गत एवं विदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ ऐसी सहभागिता अनुबंध में प्रविष्टि के लिए प्राधिकृत किया, जैसाकि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के विस्तृत उपबंधओं के अंतर्गत अन्यथा उपबंधित है, अथवा जब कभी ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होता है ।

ई सी : 07:25	शिक्षण एवं शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति (संविदा आधार पर)

कार्यवृत्त

7.25.1 विश्वविद्यालय द्वारा लागू किए गए कई शैक्षणिक कार्यक्रमों के द्वारा सृजित अनिवार्यताओं की दृष्टि से, सदन ने कार्यसूची मद में यथा उल्लेखित शिक्षण एवं शैक्षणिक कर्मचारियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की संपुष्टि की ।

7.25.2 इसी समय इनके द्वारा विश्वविद्यालय को नियमित आधार पर नियुक्ति करने के मुद्दे को मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ उठाकर शीघ्रता करने का निर्देश दिया गया । जब अध्यक्ष ने चयन समिति के प्रति विजिटर द्वारा नॉमिनी प्राप्त करने के विषय में स्पष्ट किया, सदन ने विश्वविद्यालय को अपने नई विशेषज्ञों की एक सूची बनाने तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजने का सुझाव दिया ताकि मंत्रालय बिना किसी कठिनाई के विजिटर को कुछ नामों की अनुशंसा चयन समिति/ समितियों के प्रति नामांकन हेतु कर सकें। अध्यक्ष ने सदन को इनकी सुझाव पर आगे अनुपालन करने के लिए आश्वस्त किया।

ई सी : 07:26	गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति (संवीदा आधार पर)

कार्यवृत्त

7.26.1 सदन ने कार्य सूची मद में यथा उल्लेखित गैर शिक्षण कर्मचारियों की संविदा आधार पर नियुक्ति की संपुष्टि की ।

ई सी : 07:27	वेतनों का परिशोधन (शिक्षण/शैक्षाणिक/गैर शिक्षण कार्मिक)

कार्यवृत्त

7.27.1 सदन ने कार्य सूची मद में यथा उल्लेखित शिक्षण/शैक्षाणिक/गैर शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में किए गए परिशोधन की संपुष्टि की ।

समूह - III सूचनार्थ रिपोर्ट की गई मदें

ई सी : 07:28	यांग्यांग स्थित भूमि अधिग्रहण पर स्थिति रिपोर्ट

कार्यवृत्त

7.28.1 कार्य सूची मद पर विस्तारपूर्वक एवं गंभीर चिंता के साथ विचार किया गया। अध्यक्ष ने एक बार पुनः उल्लेख किया कि किस प्रकार सिक्किम सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को यांग्यांग स्थित मुख्य कैंपस हेतु भूमि के वास्तविक रुप से अधिग्रहण करने के संबंध में चार पत्रों के प्रेषित किए जाने के बावजूद एवं, पूर्ण क्षतिपूर्ति का भुगतान(वर्ष 2008 एवं 2009 में विश्वविद्यालय द्वारा अवदान के रूप में रूपये 15 करोड़ सहित) करने के बावजूद भी किसी भूस्वामी ने भूमि खाली नहीं किया है। वास्तव में यह पाया गया है कि सिक्किम सरकार द्वारा किसी भी भूस्वामी को भूमि खाली करने का नोटिस नहीं दिया गया है। संपूर्ण सदन ने सर्वसम्मति से अब तक चल रहे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर आश्चर्य तथा असंतोष व्यक्त किया । यह अभिमत व्यक्त किया गया कि भू स्वामियों के क्षतिपूर्ति का भुगतान किए जाने के बाद भी भूमि खाली करने के लिए नोटिस जारी ना किया जाना गंभीर चिंता का विषय है । जैसा कि सदन द्वारा इन की पिछली बैठक में भी उल्लेख किया गया था कि यह विलंब भारत सरकार लागत एवं परियोजना के क्रियान्वयन में समय की अति व्याप्ति दोनों की दृष्टि से भारी पड़ सकता है । यह अप्रत्यक्ष रुप से सिक्किम सरकार को भी गुणता उच्चतर शिक्षा में पहुंच से वंचित कर रहा है जो कि विश्वविद्यालय कैंपस भूमि उपलब्ध होने के बाद प्रदान करने को इच्छुक है । यह कहा गया कि भूमि प्रदान किए जाने में विलंब के परिणामस्वरूप संकाय सदस्यों, कर्मचारियों एवं छात्रों में भी गंगटोक में 3 वर्ष से अधिक समय बिताने के बाद यांग्यांग स्थानांतरित होने में असंतोष पैदा होगा। सदस्य संकल्प लिया कि इस मामले को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ सिक्किम सरकार द्वारा इस मुद्दे को यथाशीघ्र निपटाने के लिए तत्काल उठाया जाए । भारत सरकार के साथ यह उल्लेख किया जाए कि मामला दिनों दिन उलझता जा रहा है । सदन ने यह भी सुझाव दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से विश्वविद्यालय द्वारा अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए अनुरोध किया जाए , जिसमें यदि आवश्यक हो और यदि सिक्किम सरकार अब से तीन चार महीने के अंदर विश्वविद्यालय को भूमि सौंपने में असफल रहता है, तो विश्वविद्यालय का अन्य स्थानों पर पुनर्अवस्थापन सम्मिलित है ।

7.28.2 अध्यक्ष सदन द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे/ बिंदुओं को मंत्रालय के साथ उठाने के लिए सहमत हुए । इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय इस विषय पर एक मसौदा पत्र तैयार करेगा जिसे मंत्रालय को प्रेषित किए जाने के पूर्व माननीय सदस्यों के बीच उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया जा सकता है ।

ई सी : 07:29	एशिया सम्मेलन का आयोजन

कार्यवृत्त

7.29.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद पर विचार एवं नोट किया ।

ई सी : 07:30	वर्ष 2009-10 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर अनुपालन रिपोर्ट

कार्यवृत्त

7.30.1 सदन ने कार्यसूची के साथ प्रस्तुत वर्ष 2009-10 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर अनुपालन रिपोर्ट के ऊपर विचार किया तथा इसे नोट किया ।

ई सी : 07:31	30.09.2010 को समाप्त छमाही हेतु विश्वविद्यालय की अर्धवार्षिक लेखाएं

कार्यवृत्त

7.31.1 सदन ने दिनांक 30.09.2010 को समाप्त छमाही हेतु विश्वविद्यालय की अर्धवार्षिक लेखाओं को नोट किया ।

ई सी : 07:32	स्वीकृत संख्याबल की स्थिति तथा दिनांक 01.10.2010 तक पदों पर भर्ति व्यक्तियों की स्थिति

कार्यवृत्त

7.32.1 सदन ने स्वीकृत संख्या बल की स्थिति एवं दिनांक 01.10.2010 तक पदों पर भर्ति व्यक्तियों की स्थिति, कार्यसूची मद में यथा प्रस्तुत नोट किया ।

ई सी : 07:33	महाविद्यालयों के संबद्धन पर विनियमावली

कार्यवृत्त

7.33.1 सदन ने कार्यसूची मद के साथ प्रस्तुत महाविद्यालयों के संबद्धन पर मानदंड एवं विनियमावली को नोट किया तथा इसे औपचारिक अध्यादेश के तौर पर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसाओं के साथ अगली बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

ई सी : 07:34	कार्यकारी परिषद की अगली बैठकों की तारीखें

कार्यवृत्त

7.34.1 प्रस्तावित तारीखों पर सदन इच्छा व्यक्त की कि अगली बैठक 26.11.2010 की अपेक्षा नई दिल्ली में दिनांक 27.11.2010 की अपेक्षा नई दिल्ली में दिनांक 27.11.2010 को आयोजित की जाए एवं तदनुसार इसे नोट किया गया ।

ई सी : 07:35	अध्य महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

कार्यवृत्त

7.35.1 कोई अन्य मद नहीं होने के कारण अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त हुई ।

ह0
(पी वी रवि)
वित्त अधिकारी
प्रभारी सचिव, कार्यकारी परिषद